

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

नवीन जमीन मालिक / उत्तरी दिक्कत मालिकों को
अनुमति दी जाती है कि वे अपनी जमीन
को "सर्वहारा" अथवा "अनुमति" अथवा "सर्वहारा"
में बदलने की कार्यवाही करवा सकें।
साथ ही नवीन जमीन मालिकों को

✍